खण्ड – 6 संख्या – 20

एकादश

बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त

कार्यवाही प्रश्नोत्तर

भाग-1

सोमवार, तिथि 22 जूलाई, 1996 ई०

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर :-

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :-

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :- 67 एवं 68 ।

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :- 1509, 2486, 24587, 2488, 2489, 249 2493, 2464 2495, 2498, 2499, 2501, 2501 एवं 2502

परिशिष्ट :- (प्रश्नों के लिखित उत्तर)

दैनिक निबंध

टिप्पणी :- कोई भी मा० मंत्री अथवा मा० सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किये हैं।

श्री फनीन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, दिनांक 17.7. को उन्होंने अन्तिम आवेदन दिया है, वे फरार नहीं है और दिनांक 20.7 के कार्यवाही में भी उपस्थित हुए हैं तो मैं सरकार से चाहूँगा कि वह इसमें जांच करा दें?

श्री रघुनाथ झा : अब इसमें जॉच करने की क्या आवश्यकता है? उनको बार-बार निर्देश दिया जा रहा है कि पटना जिला मुख्यालय में योगदान दें लेकिन वे ज्वाइन नहीं कर रहे है तो इसमें जांच करवाने की क्या आवश्यकता है? माननीय सदस्य, आप उनको ज्वायन करने के लिए कहिए।

श्री राम लाल सिंह : जब बार-बार निर्देश के बावजूद वे ज्वयान नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करते है?

बीमार मिलों का पुनर्वास

2502. श्री जगबन्धु अधिकारी : क्या मंत्री, ईख विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

1. क्या यह बात सही है कि राज्य के 28 चीनी मिलों मे से 18 चीनी मिले बीमार एव बंद है?

2. क्या यह बात सही है कि इन चीनी मिलों के पास किसानों का 8987.56 लाख रूपये बकाया है?

3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बन्द चीनी मिलों को खोलने, बीमार मिलों के सही ढंग से चलाने एवं किसानें का बकाये राशि का भुगतान करने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीमार उद्योगों के बारे में तो बहुत बात की गयी थी लेकिन आप ईख विभाग की बीमारी के बोरमें जानना चाहते हैं तो मैं माननीया मंत्री जी कहताहू कि वे जवाब दें।

श्रीमती शांति देवी : महोदय, 1. उत्तर अंशत: स्वीकारात्मक है। राज्य के 28 चीनी मिलों में से निजी क्षेत्र की दो चीनी मिलें, चनपटिया एवं बाराचकिया बीमार होकर बन्द हैं तथा चीनी निगम के सभी पन्द्रह चीनी मिलें गत वर्ष बन्द थी।

2. दिनांक 15.6.96 तक की स्थिति के अनुसार चनपटिया एवं वाराचकिया तथा चीनी निगम के चीनी मिलों के जिम्मे कुल 4653.66 लाख रूपया किसानों का बकाया रह गया है।

3. चनपटिया एवं बाराचकिया चीनी मिलें ब्रिटिश इंडिया कम्पनी के अन्तर्गत चम्पारण सुगर कम्पनी, कानपुर की हैं बी०आई० एफ०आर० के आदेशानुसार कम्पनी परिसमापन की स्थिति में रहने के कारण इनका संचालन तथा इसके जिम्मे बकाया ईख मूल्य का भुगतान अभी तत्काल संभव नहीं दिखता है।

निगम की मिलों के बकाया ईख मूल्य के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा अपनी सीमित साधन से चीनी निगम को ऋण के रूप में राशि उपलब्ध करायी जा रही है। निगम की बन्द चीनी मिलों के पुनर्वास हेतु सरकार प्रयत्नशील है।

श्री जगबंधु अधिकारी : चनपटिया और बाराचटिया के संबंध में माननीय मंत्री ने जवाब दी है कि ये प्राईवेट सेक्टर में है। इनके संबंध में हाथ बंधा हुआ है लेकिन हम समझते हैं कि प्राईवेट सेक्टर होने के बावजूद सरकार किसानों को राशि भुगतान करने के लिए सामर्थ्य है। भारत सरकार देगी या बिहार सरकार?

श्री मती शांति देवी : वी०आई०एफ०आर० का कोर्ट है जिसके आदेशानुसार किया जायेगा। यह भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय को देना है।

श्री जगबंधु अधिकारी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि खंड (2) में जो उत्तर दिया गया है कि चीनी निगम के अनतर्गत 16 बीमार मिलें हैं जिनके पास किसानों का 86.53 करोड़ रूपये बकाया है और सरकार का इस बकाया राशि को भुगतान करने का विचार है कितनी राशि विमुक्त करने जा रही है तो और कब तक करेगी। 89 करोड़ के बदले 86 करोड़ बतलायी है। कितनी राशि किसानों को देने जा रही हैं बकाया मदद में और कबतक राशि देंगी? सरकार इसका उल्लेख करें।

श्री राधा कृष्ण किशोर : अध्यक्ष महोदय, महिला मंत्री से एक से अधिक पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

अध्यक्ष : यहां महिला और पुरूष दोनों बराबर है।आप बैठिये न। अभी इनका पूरक समाप्त ही नहीं हुआ।

श्रीमती शांति देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब तो दे ही रही हूं। ईख मूल्य के भुगतान के लिए जवाब दे ही दिया है। निगम कीमिलों के बकाया ईख मूल्य के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा अपनी सीमित साधन से चीनी निगम को ऋण के रूप में राशि उपलब्ध कराई जा रही है। निगम की बंद चीनी मिलों के पुनर्वास हेतु सरकार प्रयत्नशील है।

श्री जगबंधु अधिकारी : अध्यक्ष महोदय, कितनी राशि और कब तक देगी?

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि दोमिलों के मूल्य अभी वी०आइ०एफ०आर० के अधीन में है और लिक्वीडेशन स्टेज में है। एक

माननीय सदस्य श्री बीरबल शर्मा के यहां हैं और दूसरा चंकिया चीनी मिल है। बकाया भुगतानके लिए सरकार पर प्रेसर है। भारत सरकार किसानों को पैसा दे देगी, हार्डशिप को कम करेगी। बिहार सरकार के अधीन जो निगम हैं उनकी स्थिति खासता है, घाटा-घाटा-घाटा में चल रहे हैं और हम किसानों के ईख के मूल्य के भुगतान के लिए बढ़ोत्तरी कर रहे हैं नतीजा होता है कि मिलों को लायबलिटी नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो सुगर फैक्ट्री हैं, उसमें घाटा होने से सरकार पर लायबिलिटी बढ़ जाती है। इधर हमने मिलों को किसान के बकाया मूल्यों के लिए 30 करोड़ रूपया दिया है और उसको तीन फेज में भुगतान कर दिया गया है। धीरे-धीरे किसान का बकाया पैसा क्लियर हो जायेगा। महोदय, इसमें तीस करोड़ रूपया दे चुके हैं और 10 करोड़ रूपया रिलीज हो चुका है। चीनी मिलों से संबंधित जिलाधिकारियों कोकहा गया है, जिसकी मैंने समीक्षा की थी, कि आप इनस्योर कीजिए कि जो छोटे-छोटे किसान हैं दस कट्ठा, एक बीघा डेढ़ बीघा वाले किसान हैं, उनको पेंमेंट का काम करा दीजिए। बाकी दस करोड़ रूपया इस माह में रिलीज होगा और फिर बीस करोड़ रूपया देंगे। जैसे-जैसे राशि का प्रबंध होता जा रहा है, किसानों को दिया जा रहा है साथ ही कर्मचारियों को भी देखना है। इसके लिए सरकार घाटे का सौदा कर रही है। इस संबंध में मैंने सर्वदलीय बैठक भी की थी इन मिलों के साथ क्या किया जाए। इन मिलों को निजी क्षेत्र में भी लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं जो भायेबल सुगर फैक्टरी हैं, एस०के०जी० लौरिया और हथुआ मिलें, इन दोनों में जान है, लेकिन इनमें पहले का प्रबंधन है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, जिससे हम इसको टेंडर भी नहीं कर सकते है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, इनके भुगतान के लिए सरकार खुद चिंतित हैं। किसानों का पैसा बरसों-बरस से बाकी चला आ रहा है। ओर किसानों की यह समस्या सिर्फ इस राज्य में ही नहीं है बल्कि

आप लोग देखेंगे कि यह समस्या यू०पी० और अन्य राज्यों में भी है और इसके लिए चारो तरफ बावेला मचा हुआ हैं एक तरफ खेत सूख रहे हैं, उख सूख रहा है। इसलिए हमने भारत सरकार से कहा है कि चीनी मिलों के संबंध में की जो व्यवस्था चल रही है इससे हमको कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। यह जो सेंट्रलाईजेशन की नीति है, सुगर लॉबी जो हैं देश के वह नहीं चाहता है कि नयी मिले खोली जायं। जरा सुनिये वर्मा जी, वो नहीं चाहते हैं कि खांडसारी की मिलें खुले। उनको जब मन में आता है सुगर फैक्टरी को बंद कर देते हैं इसलिए इसको डि-लाईसेंसिंग करने के लिए ताकि खांडसारी मिल खोलना है, गुड मिल खोलना है, चीनी बनाना है, वो आसानी से बना सकें। इसलिए केन्द्र सरकार पर इम काम को करने के लिए दवाब है कि इसको ड़ि-लाईसेंसिंग कर दिया जाय ताकि किसान अपना खांडसारी उद्योग, गुड़ मिल, चीनी मिलों मे ऊख आसानी से दे सकें और उनको आसानी से पैसा मिल सके और जो छोटे-छोटे उद्योग धांधा करने वाले हैं उनको भी लाभ होगा। किसानों के बकाया पैसा का भुगतान करने के लिए हम काफी तत्पर हैं और तीस करोड़ ही नहीं, शेष राशि का प्रबंध कर के भी किसानों को दिया जायेगा।

श्री बीरबल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं .....

अध्यक्ष : अभी प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य को पूरक पूछने दीज़िये। अभी इनके अधिकार का अतिक्रमण मत कीजिए।

श्री जगबंधु अधिकारी : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने एक ही पूरक पूछा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि चीनी मिलो के ऊपर किसानों के बकाये के अतिरिक्त करोड़ों रूपये मजदूरों का भी बकाया

रह गया है, उसके बारे में भी कुछ पैसा रिलीज करने जा रही है सरकार? मजदूर भी भूखे है। हर मिल के मजदूरों की यही स्थिति है। चीनी मिलों के वेतन भोगी कर्मचारियों के बारे में सरकार बतायें।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ईख मूल्य जो किसान का बकाया है, उसको हम भुगतानकर रहे हैं मजदूरों का जो बकाया है, उसका भी हमें ख्याल हैं निगम को कर्जा देती है सरकार। यह काम निगम का है। निगम का जो कैंसेप्ट है वह पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि जो छोटे-छोटे निगम हैं, एग्रो है जितने निगम हैं,, उनके कर्मचारियों को चालीस-चालीस महीने से वेतन नहीं मिला है। यह सरकार का काम नहीं था। यह निगम का बिल्कुल दिवाला निकला हुआ है, ये व्हाईट-एलिफेंट हैंउनके कर्मचारियों की पत्नियां रोते-रोते आती है। जनता दरवार में कि चालीस-चालीस महीने से तनख्वाह नहीं मिला है तो सरकर कुछ न कुछ दे देती है। यह हमारा काम नहीं था और सरकार किसी तरह से कुछ दे देती है। इसके लिए आपलोगों के साथ सर्वदलीय बैठक हुई थी और यह प्रश्न भी आया था कि जो निगम थोड़ा पुश कर देने से चला सकता है उसको रखा जाए और जो रिटर्न देने वाला नहीं है उसके कर्मचारियों का सामंजन कर दिया जाय। इसको चारो तरफ फैला देने से समाधान हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कठिनाई होती ओर सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री बीरबल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिहार में डेढ अरब रूपया किसानों के गन्ने का बकाया है और 85 करोड़ रूपये के लगभग मजदूरों का बकाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम भारत सरकार से लेना चाहते हैं लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि और आग्रह भी है कि अभी साढ़े चार सौ करोड़ रूपया भारत सरकार ने यू॰पी॰ को दिया है। आप क्या 100

करोड़ रूपया भारत सरकार से लेकर बिहार के गन्ना काश्तकारों को देना चाहते हैं या नहीं?

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों के प्रति ही सरकार की ड्यूटी है कि दबाव देकर इंश्योर करे कि गन्ना किसानों का गन्ना लिया है तो पेंमेट करना है लेकिन गन्ना किसानों का जो पैसा किसानों को मिलना चाहिए, ये कर्मचारी लोग उस पैसे को अपने वेतन में उठा लेते हैं, ये उठाते भी रहे हैं और लाईबिलिटोज बढ़ती जा रही है। इनको तनख्वाह देना हमारा काम नहीं है और इसका कारण यह है कि धुआंधार बहाली हर फैक्ट्री में होती रही है।

श्री राम दास रायः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हमारे यहां मढ़ौड़ा चीनी मिल है, चार करोड़ रूपया किसानों का उनके यहां बकाया है और वे भुगतान नहीं कर रहे है, चीनी मिल मालिकें मिल कोबंद करके वहां से भाग रहे हैं। वैसे स्थिति में सरकार किसानों के बकाये का भुगतान और मिल को चालू करने का विचार रखती है या नहीं?

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष, महोदय नहीं करते हैं।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सभा पटल पर रख दिये जायें।

पटना
दिनांक 19 जूलाई, 1996 ई०

गोपाल जी
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा-1

दैनिक निबंध

सोमवार, तिथि 22 जूलाई, 1996 ई०

विषय

प्रश्नों के मौखिक उत्तरः–

प्रश्न सं०

अल्पसूचित प्रश्न सं०

67 निरेपक्ष रूख अपनाना

68 अनुशंसाये लागू करना

तारांकित प्रश्नोत्तर सं०

1509 पद सृजन एवं पदस्थापन

2486 आदेश का कार्यान्वयन

2487 अनुज्ञप्ति की अनुशंसा

2488 पदाधिकारियों पर कार्रवाई

2489 थाना प्रभारी का स्थानान्तरण

2490 मामलों का निष्पादन

2491 पृथक जिलों में रहने का औचित्य

2493 पुलिस पदाधिकारियों को दंडित करना

2494 मैनुअल में संशोधन

2495 आरक्षी बल की व्यवस्था

2498 पदाधिकारियों का स्थानान्तरण

2499 श्री महथा का स्थानान्तरण

2501 वेतन का भुगतान

2502 बीमार मिलों का पुनर्वास

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 एवं 296 के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं **रिशू ऑफसेट**, राजापुर पुल, पटना-1, बिहार द्वारा मुद्रित।